कार्यालय, अधीक्षक उत्पाद, मधेपुरा

आदेश

सचिव, राजस्व पर्षद, पटना के अधिसूचना संख्या-4/लेख/ए0013/96-175 दिनांक 27-02-2006 के आलोक में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु महावीर जयन्ती के अवसर पर दिनांक 02-04-2015 को जिले में अवस्थित सभी प्रकार की शराब दुकानें बन्द रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

ज्ञाप संख्या ____/उ0, दिनांक

प्रतिलिपि निरीक्षक उत्पाद, मधेपुरा/सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद/प्रबंधक देशी शराब, विदेशी शराब गोदाम, बी0एस0बी0सी0एल0, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। सभी अंचल अवर निरीक्षक उत्पाद को निदेश दिया जाता है कि अपने अंचल के अन्तर्गत सभी शराब दुकानों को दिनांक 01-04-2015 को बिक्री के पश्चात् एफ0एल0 का सत्यापन कर संबंधित शराब दुकानों को बन्द करना सुनिश्चित करेंगे तथा एफ0एल0 का सत्यापन प्रतिवेदन एवं प्रतिदिन का छापामारी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करेंगे जिससे कि विधि व्यवस्था संधारण में मदद मिल सके। सभी अवर निरीक्षक उत्पाद सघन छापेमारी कार्य करेंगे जिससे कि किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री नहीं हो सके।

अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।

ज्ञाप संख्या 490/उ0, दिनांक 31/3/2015

प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा को आदेश के अनुपालन में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधेपुरा को जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/3/15

31/3/15
अधीक्षक उत्पाद,
मधेपुरा।